न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर जिला हनुमानगढ

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

प्रकरण सं0 10/2019

1. दलिप सिंह पुत्र लालुराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

—प्रार्थी

बनाम्

1. हरदत पुत्र लिछमणराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
2. दलीप पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. साहबराम पुत्र उदमीराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
4. वेदप्रकाश पुत्र पेमाराम जाति ब्राहमण साकिन भगवान तहसील नोहर।
5. ग्राम पंचायत देईदास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत देईदास तहसील नोहर।
6. पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर।

—अप्रार्थीगण

7. अमरसिंह पुत्र लालुराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
8. काशीराम पुत्र लालुराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

निगरानी बखिलाफ निर्णय दिनांक 9.7.19 प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर जिसकी रूह से अपील संख्या 11/2019 अनवानी हरदत आदि बनाम अमरसिह आदि आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विधि विरूद्ध आवेदक व तरतीबी अनावेदकगण पक्ष में जारी पटटा दिनांक 2.12.1999 को खारिज किया व मुराबद मन्सुखिया तथा पटटा दिनांक 2.2.1999 को बहाल किये जाने बाबात

उपस्थितः— 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय **दिनांकः— 31.08.2020**

प्रार्थी ने निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है— अपीलार्थीगण यानी इस निगरानी के अनावेदकगण न. 1 ता 4 की तरफ से मातहत अदालत में एक अपील सं. 11/2019 अनवानी हरदत आदि बनाम अमर सिंह आदि इस आशय की प्रस्तुत हुई कि गांव भगवान की आबादी क्षेत्र में देव स्थल है जिस जगह पर रामदेव जी,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हनुमान जी, भोमिया जी, भभूता जी, शिवजी, माता रानी जी देवी देवताओं के मंदिर है। जहां पर ग्रामवासी व आस पास के लोग उक्त देवताओं में आस्था रखते है। व पूजा अर्चना करने उक्त मंदिरो मे आते है। तथा प्रत्येक भादवा सुदी 10–11 को उक्त जगह पर रामदेव जी का मेला लगता है। जहां लोग जागरण व मेला में आते है। तथा अपीलार्थीगण ने जब से होश सम्भाला है तब से वे उक्त जगह पर देवी देवताओ के मन्दिरों पर ऋद्धालुओं को पूजा अर्चना करता देखतें आ रहे है। तथा उक्त मन्दिरों की जगह को ग्राम पंचायत देईदास द्वारा मन्दिरों हेतु आरक्षित करते हुए दिनांक 11.02.1986 को रामदेवजी, बाल्मिकी जी, माता रानी जी, भभूता जी, हनुमान जी, भोमिया जी आदि देव स्थान के नाम से पटटा भी जारी किया गया। जो पटटा शुदा जगह उतर की और पूर्व से पश्चिम 375 फुट दक्षिण की ओर से पूर्व से पश्चिम 395 फूट पूर्व की ओर उतर से दक्षिण 200 फूट व पश्चिम की ओर से उतर से दक्षिण 350 फूट क्षेत्र की जगह का जारी शुदा पटटा है। तथा उक्त देवस्थान की पटटा शुदा जगह के उतर में टोपरिया ढण्ढेला आम रास्ता दक्षिण में सडक आम पूर्व में सडक व पश्चिम मे जोहड़ है। तथा उक्त देवस्थान मैं सडक आम पूर्व मे सडक व पश्चिम मे जोहड तथा उक्त देवस्थान के नाम से जारी शुद्धा पटटा शुद्धा जगह के पूर्व की और सडक में पांयत की ओर 60 फूट की दूरी पर रामदेव जी व अन्य मन्दिर निर्मित है। तथा उक्त रामदेव जी मन्दिर के पश्चिम की ओर लगभग 40 फूट की दूरी पर हनुमानजी माता रानी भोमिया जी भभूता जी आदि के मन्दिर उतर से दक्षिण एक लाईन में बने हुए है। तथा मास मर्चा 2019 में प्रार्थी स. 1 ता 3 उक्त निर्मित मन्दिरों की अतर की और चिपते ही उक्त देव स्थल की पटटा शुदा जगह पर दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण करने लगे तो ग्राम वासियों की ओर से प्रशासन को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देवस्थान की उक्त जगह पर निर्माण करने से रोकने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रशासन की और से इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई। तथा अपीलार्थीगण व ग्रामवासियों ने दिनांक 11.06.2019 को देवस्थान की जगह पर अतिक्रमण नही करने के लिए प्रत्यशीगण को कहा तो उन्होंने कहा कि उक्त जगह के उन्होने पटटा जारी करवा रखें है। तथा ग्राम पंचायत देईदास से दिनांक 18.06.2019 को नकल मिलने पर पता चला कि प्रार्थीगण स. 1 अमर सिंह व प्रार्थी स. 2 काशीराम ने दिनांक 11.11.1990 को अपने पक्ष में 45X130 व 45X120 फुट क्षेत्र के दो अलग अलग पटटा बनवा रखें है। तथा पुनः दिनांक 02.12.99 को उक्त दोनो पटटे व देवस्थान की पटटा शुदा जगह व उतर की ओर से टोपरिया ढण्ढेला रास्ता व जगह को सम्मिलित करते हुए प्रार्थीगण न. 1 ता 3 ने 1497.44 वर्गगज क्षेत्र का एक और पटटा बना रखा हे। तथा अपीलाधीन पटटो की जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करना कथन करते हुए उक्त पटटे खारिज करने हेतु निवेदन किया। तथा अपील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया जाकर प्रत्यार्थीगण स. 1 ता 3 की ओर से जवाब इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि अपीलार्थीगण कोई सामाजिक कार्यकर्ता नही है ना ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उन्हें ग्रामवासियों द्वारा उक्त अपील पेश करने के लिए अधिकृत किया गया है। तथा अपील राजनैतिक रंजीश वंश बिना अधिकारिता के प्रस्तुत की है। जो अपील पोषणीय नही है। तथा प्रत्यर्थी स. 1 अमर सिंह व प्रत्यर्थी स. 2 काशीराम के पक्ष में दिनांक 11.11.1990 को जारी पटटे देवस्थान की जगह के नही है बल्कि गांव भगवान मे ही अन्यत्र जगह के है। वे ऐसे पटटा शुदा भूखण्डो पर मकान निर्माण कर रहवास कर रहे है। तथा उक्त पटटो में भूखण्ड के जो आसा पासा दर्शाये है वे प्रत्यर्थीगण के पक्ष में दिनांक 02.12.1999 को जारी पटटा शुदा भूखण्ड के आसा पास में मेल नहीं खाते है। तथा उन्होंने कथन किया की मन्दिर के मुख्य चौगान के उतर की और पूर्व में पश्चिम जोहड़ के रास्ता की दक्षिणी दीवार तक ही मन्दिर की जगह है। व उक्त दीवार की जगह तक ही देवी देवताओं के मन्दिर है। तथा उक्त मुख्य चौगान की उतर की और निर्मित दीवार के उतरी ओर की जगह मन्दिर की नही है। व ना ही उक्त जगह का ग्राम वासियों द्वारा मन्दिर हेतु कभी कोइ उपयोग उपभोग ही किया गया है। जिस पटटा का ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड नही है। तथा उन्होने कथन किया की ऐसे बहुत बडे क्षेत्र के जारी पटटा का सक्षम स्तर से अनुमोदन नही करवाया गया है। तथा ग्राम पंचायत इतने बडे क्षेत्र का पटटा जारी करने को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। जो पटटा अवैध होने से खारिज किया जावे। व प्रत्यार्थीगण यानि आवेदक व तरतीबी अनावेदकगण स. 7 व 8 का पटटा बहाल रखा जावे। तथा प्रत्यर्थीगण न. 1 ता 3 ने अपने जवाब यह कथन भी किया कि प्रत्यर्थीगण की गांव में अन्यत्र दिनांक 11.12.1990 को जारी पटटा शुदा जगह पर रिहायश होने से मन्दिर के मुख्य चौगान के उतर में स्थित प्रत्यर्थीगण की उक्त पूर्व में कब्जा शुदा जगह पर मकान का निर्माण नही किया था व प्रत्यार्थीगण के निवेदन पर दिनांक 2.12.1999 को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार उक्त जगह का कीमतन पटटा जारी किया गया। तथा उन्होंने कथन किया कि उक्त पटटा नियमानुसार विधि प्रकिया अपनाये जाकर कीमतन पटटा जारी किया गया व वर्तमान में उक्त पटटा शुदा भूखण्ड पर पक्के मकान निर्माण कर भूखण्ड का उपयोग उपभोग कर रहे है। तथा उन्होने कथन किया की प्रत्यार्थीगण मन्दिर अथवा कोई रासता पर अतिक्रमण नही कर रहे हे। बल्कि अपने पटटा शुदा जगह पर ही निर्माण कर भूखण्ड को उपयोग व उपभोग कर रहे है। तथा प्रार्थीगण यानी निगरानी के आवेदक व तरतीबी अनावेदकगण का दिनांक 2.12.1999 को जारी पटटा देवस्थान अथवा किसी रास्ता की जगह का नही हे। तथा उक्त पटटा प्रार्थीगण की देवस्थान के जारी पटटा के पूर्व ही कब्जा शुदा जगह का है। जो पटटा नियमानुसार सारी कार्यवाही की जाकर जारी किया गया है। जो पटटा बहाल रखा जावे। तथा प्रत्यार्थीगण ने यह भी कथन किया कि दिनांक 26.5.18 की सभी ग्रामवासी की आपसी सहमति से समझौता हुआ था। जिस समझौता वार्ता के दौरान अपीलार्थीगण भी उपस्थिति थे वे उक्त समझौता में मन्दिर के मुख्य चौगान के उतर में जोहड का रास्ता व काशीराम, दलीपसिंह बैनिवाल के प्लाट होना स्वीकार किया गय है। तथा उन्होंने कथन किया कि उक्त

2/3

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

समझौतावार्ता से पूर्व से ही अपीलार्थीगण यानी अनावेदनक न. 1 ता 4 को निगरानीधीन पटटा की जानकारी थी। तथा मातहत अदालत में अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। तथा प्रत्यार्थीगण यानी आवेदक व तरतीबी आवेदकगण का अपने पक्ष में दिनांक 2.12.1999 को जारी पटटा बहाल रखनें व उनकी पटटा शुदा जगह की हद तक का देवस्थान के पक्ष में जारी पटटा खारीज फरमाने का निवेदन किया। तथा मातहत अदालत ने कतई विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी सही विश्लेषण के दिनांक 9.7.19 को अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रत्यार्थीगण यानी आवेदक व तरतीबी अनावेदक न. 7 व 8 के पक्ष में दिनांक 2.12.99 जारी पटटा खारिज किया कर दिया जिससे आवेदक व तरतीबी अनावेदकगण न. 7 व 8 को अपूर्णीय क्षति होती है। जिससे आवेदक यह निगरानी निम्न आधार पर प्रस्तुत कर रहा है।

(क) निर्णय दिनांक 9.7.19 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात व रूहदाद मिसल है। तथा नियम विरूद्ध है। तथा विधि की भयंकर अवहेलना करते हुए पारित किया है। तथा काबिल मन्सूखी है।

(ख) प्रशासन एवं स्थाई समिति ने निचे की पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात पर ना तो कोई गौर किया है और ना ही आवेदन व तरतीबी अनावेदक गण को पूरा सुनवाई का अवसर दिया है। तथा उक्त निर्णय राजनैतिक द्वेषता से आवेदक को अपमानित करने के लिए नियम विरूद्ध किय है तथा काबिल मन्सुखी है।

(ग) आवेदक का आवासीय भूखण्ड 55 साल पुराना है। तथा वह उसका उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है। तथा उक्त पअटा देवस्थान की भूमि पर नही बनाया गया हे। जबकि आवेदक का अपने भूखण्ड पर देवस्थान के नाम जारी पटटा से पहले की कब्जा में चला आ रहा है। तथा मातहत अदालत ने दिनांक 2.12.1999 को जारी पटटा को खारिज कर कानूनी भूल की है। तथा निर्णय दिनांक 9.7.2019 इसी आधार पर काबिल अपास्तनीय है।

(घ) निर्णय प्रशासन स्थाई समिति कतई अस्पष्ट है। तथा Speaking Order नही है। तथा काबिल इखराजी है।

(ड़) वादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में मातहत अदालत ने दिनांक 23.7.01 को देवस्थान को जारी पटटा सही मानते हुवे निर्णय पारित किया था। तथा उक्त निर्णय दिनांक 23.7.2001 के खिलाफ आवेदक ने इसी अदालत में निगरानी पेश की थी। जिसको इस अदालत में निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.07.2001 को अपास्त कर दिया था। तथा पत्रावली को अपास्त कर दिया था। तथा पत्रावली को पुन निर्णय पारित करने हेतु रिमांड कर दी थी। मगर मातहत ने रिमाण्ड शुदा पत्रावली मे उपर की अदालत की हिदायत अनुसार कोई निर्णय पारित ना कर अपीलार्थीगण अनावेदकगण द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत नयी अपील प्रस्तुत करवाकर साजिसाना रूप से निर्णय दिनांक 9.7.2019 पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

किया है। तथा नियम विरूद्ध आवेदक के पक्ष पारित पटटा दिनांक 2.12.99 को खारिज किया है। तथा निर्णय दिनांक 9.7.2019 इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

(च) निर्णय दिनांक 9.7.2019 बअदालत मातहत अदालत पंचायत समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर निर्णय किया है। तथा इसी आधार पर काबिल खारिजी है।

(छ) विवादित प्लाट आवेदक का 55 साल पुराना तथा उक्त भूखण्ड का पटटा नियमानुसार दिनांक 2.12.99 को बना हुआ है। तथा उसके उपयोग व उपभोग व मालयती है। तथा उक्त पटटा देवस्थान की भूमि पर नही है। बिल्क गांव भगवान की अपने कब्जा शुदा भूमि का ग्राम पंचायत से बनवाया है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गलत आधार पर पटटा दिनांक 2.12.99 की हद तक खारिज करने का निर्णय दिनांक 9.7.19 पारित किया है। तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

(ज) प्रशासन एवं स्थाई समिति ने ना ही विवादीत स्थल का मौका निरीक्षणा किया है और ना ही मौजा के हालात का पता किया। तथा उक्त निर्णय आवेदक के मुखालिफों के राजनैतिक दवाब में किया गया है। तथा उक्त निर्णय की परिभाषा में नही आता है। तथा काबिल इखराजी है।

(झ) तरतीबी आवेदकगण का हित आवेदक के साथ है। तथा वर वक्त निगरानी दायरी के समय उपस्थित ना होने की वजह से तरतीबी अनावेदकगण बनाया है जब चाहे आवेदक बन सकते है।

लिहाजा यह निगरानी आवेदक प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 9.7.19 बअदालत मातहत अपास्त फरमाया जावें। तथा पटटा दिनांक 2.12.99 बहाल रखा जावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड की तलबी की गई

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अनावेदकगण नम्बर 1 ता 4 की तरफ से मातहत अदालत में अपील संख्या 11 सन 2019 अनवानी हरदत आदि बनाम अमरसिंह आदि इस आशय की प्रस्तुत हुई कि गांव भगवान की आबादी क्षेत्र में देव स्थल है जिस जगह पर रामदेव जी, हनुमान जी, भोमियाजी, भभूता जी, शिवजी माता रानी जी देवी देवताओं के मन्दिर है जहां पर ग्रामवासी व आस पास के गांव के लोग उक्त देवताओं में आस्था रखते है व पूजा अर्चना करने हेतु उक्त मन्दिरों में आते है। उक्त मंदिरों की जगह को ग्राम पंचायत देईदास द्वारा मन्दिरों हेतु आरक्षित करते हुए दिनांक 11.02.1986 को रामदेवजी, वाल्मिकीजी माता रानी व भभूता जी, हनुमानजी, भोमियो जी आदि देव स्थान के नाम से पटटा भी जारी किया गया है। दिनांक 09.07.2019 को अपील अपीलार्थीगण यानि अनावेदकगण नम्बर 1 ता 4 आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण यानी आवेदक व तरतीबी अनावेदकगण नम्बर 7 व 8 के पक्ष

अतिरिक्त जिला कलक्टर

में दिनांक 2.12.1999 को जारी पटटा खारिज कर दिया जो नियम विरूद्ध है। निर्णय दिनांक 09.07.2019 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात व रूहदाद मिसल है। आवदेक का आवसीय भूखण्ड 55 साल पुराना है तथा उसका उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। तथा उक्त पटटा देवस्थान की भूमि पर नही बनाया गया है। जबकि आवेदक का अपने भूखण्ड पर देवस्थान के नाम जारी पटटा से पहले ही कब्जा चला आ रहा है तथा मातहत अदालत ने दिनांक 02.12.1999 को जारी पटटा को खारिज कर कानूनी भूल की है। बहस आवेदक प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 09.07.2019 बअदालत मातहत अपास्त फरमायें जावें तथा पटटा दिनांक 02.12.1999 को बहाल किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की दिनांक 24.06.2019 को हरदत, साहबराम, दलिप व वेदप्रकाश ने पंचायत समिति में अपील पेश की। दिनांक 11.11.1990 व दिनांक 02.12.1999 को जो पटटे जारी किये गये है वो देवस्थान विभाग को जारी पटटे संख्या 50 की भूमि पर जारी किये है। उन्हें खारिज करें। व पटटो की आड़ में जो अतिक्रमण किया है उसे हटाया जाये। पटटा देवस्थान विभाग को दिनांक 11.02.1986 को जारी हुआ था। जवाब में इन्होंने बताया की दिनांक 11.11.1990 के पटटे उस स्थान के न होकर अन्य स्थान के है। दिनांक 02.12.1999 को पटटा दलिप काशी वगैरह को नियम 166 के तहत जारी किया है तो फिर दो आदेशो की एक अपील का प्रश्न कहा आता है। पंचायत समिति ने दिनांक 11.11.1990 के पटटो को सही माना हैएवं दिनांक 02.12.1999 को गलत माना है। यह पूर्व में 1986 को देवस्थान के पटटो के उपर बनाया गया है। अतः खारिज किया गया। निगरानी में केवल दिनांक 02.12.1999 के पटटे को ही देखना है कि क्या वो देवस्थान की जगह पर बनाया गया है या नही। दिनांक 26.05.2018 का समझोता इस प्रसंग में न होकर गलियों में विवाद से संबंधित था न कि 1999 में जारी पटटे से संबंधित था। समझोता साधारण पेपर पर है। उसका कोई महत्व नही है। इनकी रूलिंग लागू नही होती। 1999 में एक ही पटटा जारी हुआ था न कि दो अलग अलग पटटे जारी हुए थे। दलिप काशी वगैरह में अमरसिंह कहा से आ गया उसका तो इसमें नाम भी नही है। किसी स्थान पर पूर्व में जारी पटटे के स्थान पर नया पटटा कैसे जारी हो सकता है। ये देवस्थान के पटटे को बहुत बड़ा मानते है किन्तु यह अपील इस पटटे की नही है। यदि ये उसको गलत मानते है तो उसकी अपील करते। एक अपील की थी उसमें यह माना की देवस्थान के पटटे के स्थान पर जारी अन्य पटटे खारिज माने जावे अर्थात अपील खारिज हो गयी। पशुपालन विभाग को जारी पटटे की अपील हुई थी उसमें भी देवस्थान विभाग को जारी पटटे पर होने से उसे खारिज किया गया था। दिनांक 16.06.2020 को ग्राम पंचायत ने विकास अधिकारी व तहसीलदार को ले जाकर इनका अतिक्रमण हटा दिया गया व इस स्थान पर पंचायत सार्वजनिक शोचालय का निर्माण कर रही है जो अब बनकर तैयार है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(हनुमानगढ़)

इनका कब्जा होता तो पंचायत शोचालय निर्माण कैसे करती। यदि खाली जगह थी तो निलामी में पटटा जारी हो सकता था इस तरह 200 रूपये में नही हो सकता था। इनकी निगरानी जनहित व न्यायाहित में खारिज करे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध निर्णय दिनांक 09.07.2019 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 अमरसिंह व प्रत्यर्थी संख्या 2 काशीराम के पक्ष में दिनांक 11.11.1990 को जारी पटटे बहाल रखे गये है एवं प्रत्यर्थीगण दलिप व काशी के पक्ष में दिनांक 02.12.1999 को जारी पटटे खारिज किये गये है। अर्थात अपील के अन्तर्गत एक से अधीक पटटो पर गुणावगुण के आधार पर विचार करके निर्णय पारित किया गया है। जबकि प्रत्येक पटटे के लिए पृथक–पृथक अपील की जानी चाहिए थी इसके साथ ही पत्रावली में उपलब्ध अपर जिला कलक्टर राजस्व नोहर की पत्रावली 24/2002 निर्णय दिनांक 15.05.2002 द्वारा देवस्थान को जारी पटटे दिनांक 11.02.1986 के संबंध में प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये थे की उक्त पटटा आबादी भूमि में है या नही इसकी जांच की जावें किन्तु पत्रावली में इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। देवस्थान के लिए जारी पटटा जैसा की अधिवक्ता निगरानीकार ने बहस में बताया की वह 117638 वर्ग फीट का है। अतः इतने बडे क्षेत्रफल का पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय को पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.05.2002 के निर्देशों की पालना में उक्त पटटा आबादी भूमि में है या नही इसकी जांच करनी चाहिए थी। साथ ही यह भी जांच करनी चाहिए थी की 117638 वर्ग फीट का पटटा ग्राम पंचायत कैसे जारी कर सकती है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई जांच नही की गई एवं एक ही अपील में एक से अधीक पटटो के संबंध में निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी निगराकार स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.07.2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलाशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

31/08/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर जिला हनुमानगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)